न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 58/2021 **दायर दिनांक :–12.03.2021**

उनवान

1. ऊषा आयु 55 वर्ष पत्नी रूपचन्द पुत्री देवीलाल जाति सुनार निवासी कवाई–सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. चुन्नीलाल आयु 58 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. तेजमल आयु 62 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. मोहनलाल आयु 61 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
4. योगेन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी शिवाजी कॉलोनी, टंकी के पास बारां जिला बारां राज0।
5. रामचरण आयु 64 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी राममंदिर के पास, कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. मोहनलाल आयु 50 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासी खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः–

वादीया :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

निर्णय

दिनांक 29/08/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादिया उपस्थित। वादिया द्वारा संक्षिप्त में वाद इस आश्य का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 45 का ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 का रकबा 0.35 है0 भूमि वादिया के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। गत वर्ष वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के

ख0नं0 2573/1636 की 0.07 है0 भूमि पर प्रतिवादी क्रम 6 मोहनलाल माली ने एवं शेष ख0नं0 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 ने जबरन दादागिरी की दम पर कब्जा कर लिया। जिस बाबत वादिया ने प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 से मना किया तो वे लडाई झगडा करने पर आमादा हुये। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 6 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 2573/1636 की 0.07 है0 पर से एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 5 को शेष ख0नं0 की भूमि से बेदखल कर कब्जा वादिया को सम्भलाया जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 को वादिया के स्वामित्व की भूमि पर से बेदखल कर कबजा नहीं सम्भलाया गया तो वादिया को अपने हिस्से, कबजे व स्वामित्व की भूमि पर प्राप्त चले आ रहे हक–अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। इसलिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादिया के हिस्से, कब्जे व स्वामितव की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेने पर एवं वादिया द्वारा दिनांक 16.02.2021 को प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 6 से वादिया को कब्जा सम्भलाने का निवेदन करने पर व उनके द्वारा कब्जा छोडने से मना कर लडाई–झगडा करने पर आमादा होने पर अंति बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद बेदखली का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 7 बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 6 सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 2573/1636 की पर से प्रतिवादी क्रम 6 को एवं शेष खसरा नम्बरान पर से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 5 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादिया को सम्भलाया जावे। एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा 6 को पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में भी वादिया के कब्जे व स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उतपन्न

नहीं करे न ही कब्जा करने का प्रयास करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावें

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 7 से मौका रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार अटरू द्वारा दिनांक 27.06.2022 को मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि वर्तमान में मौजूद व्यक्तियों के अनुसार ग्राम कवाई के आराजी ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 है0 पर चुन्नीलाल, रामचरण, योगेन्द्र, मोहनलाल, तेजमल पुत्र देवीलाल जाति सुनार तथा ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0 आराजी पर मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल जाति माली का कब्जा काश्त होना बताया गया है।

3. अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादिया ने बहस के दोरान कथन किया कि ग्राम कवाई के आराजी खाता संख्या 45 के ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 वादिया के खाते दर्ज है जिसमें से ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी क्रम 6 मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल ने एवं शेष आराजी –ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, व ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने जबरन दादागिरी के दम पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के कब्जा कर लिया है। अतः उक्त सभी ट्रेसपासर को बेदखल कर वादिया को कब्जा संभलाया जावे और इन्है स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ये ट्रेसपासर भविष्य में वादिया के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. अभिभाषक वादिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई की जमाबन्दी संवत 2075–78 के अनुसार खाता संख्या 45 का ख0नं0 2513/364 का रकबा

0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 का रकबा 0.35 है0 आराजी खातेदार उषाबाई पुत्री देवीलाल के खाते दर्ज हैं अर्थात वादिया उक्त विवादित आराजी की रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है और किसी रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट की भूमि पर बिना विधिक प्राधिकार के अवैध कब्जा करने वाले को धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधिन एक ट्रेसपासर माना जावेगा। इस प्रकरण मे ंतहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार–ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, व ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने एवं ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी क्रम 6 मोहनलाल पुत्र बजरंगलाल ने कब्जा कर रखा है।

5. उक्त प्रकरण को निर्धारित करने से पूर्व धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं–

Sec. 183– Ejectment of certain trespasser- (1)- Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub section (2) on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part wherof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर रिकोर्डेड खातेदार टिनेन्ट –वादीया की ग्राम कवाई स्थित आराजी खाता संख्या 45 किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 का अवैध कब्जा होना साबित होता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 धारा 183 आर0टी0एक्ट0 के अधीन ट्रेसपासर होने के कारण बेदखली हेतु उत्तरदायी है। अतः वादीया का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 2513/364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571/366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572/367 का रकबा 0.07 है0, एवं ख0नं0 2577/369 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.28 है0 भूमि से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 तथा ख0नं0 2573/1636 का रकबा 0.07 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 6 को बेदखल कर वादिया को शीघ्र कब्जा संभलाये जाने के तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम कवाई की विवादित आराजी पर–वादिया को शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 58 / 2021

उनवान

1. ऊषा आयु 55 वर्ष पत्नी रूपचन्द पुत्री देवीलाल जाति सुनार निवासी कवाई–सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. चुन्नीलाल आयु 58 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. तेजमल आयु 62 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
3. मोहनलाल आयु 61 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी सालपुरा चौराहा सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
4. योगेन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी शिवाजी कॉलोनी, टंकी के पास बारां जिला बारां राज0।
5. रामचरण आयु 64 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति सुनार निवासी राममंदिर के पास, कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. मोहनलाल आयु 50 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति माली निवासी खानपुर रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थितिः–
वादीया :– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कवाई की विवादित आराजी ख0नं0 2513 / 364 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2571 / 366 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2572 / 367 का रकबा 0.07 है0, एवं ख0नं0 2577 / 369 का रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 का रकबा 0.28 है0 भूमि से प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 तथा ख0नं0 2573 / 1636 का रकबा 0.07 है0 पर से प्रतिवादी क्रम 6 को बेदखल कर वादिया को शीघ्र कब्जा संभलाये जाने के तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम कवाई की विवादित आराजी पर–वादिया को शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करने देवें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...........................
........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)